

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सेवा केंद्र के सम्मेलन कक्ष में 22.03.2024 को सुबह 11:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का विवरण।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
2. श्री राकेश कुमार, सहायक डीजीएफटी, कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)
3. श्री पुनीत कपूर, भागीदार, मेसर्स एपीके आइडेंटिफिकेशन, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए)

इसके अलावा, (i) श्री किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री अमित कुमार गुप्ता, उपायुक्त (सीमा शुल्क), नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, (iv) श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ खाता अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (v) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (vi) श्री अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक-II और श्री गगनदीप, विशेषाधिकृत लेखापाल भी प्राधिकरण की सहायता के लिए भौतिक रूप से/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

शुरुआत में, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को निम्नानुसार निर्णयों के साथ क्रमिक रूप से लिया गया।

1. दिनांक 24.01.2024 को आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को सूचित किया गया कि बैठक के कार्यवृत्त पर कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। अतः दिनांक 24.01.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन किया गया।

इसके अलावा, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के संदर्भ में 24.01.2024 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की। इसमें प्राधिकरण द्वारा बैठक 24.01.2024 को लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर ध्यान दिया गया।

2. 2023-24 के बजट की समीक्षा और 2024-25 के लिए अनुमानित बजट तैयार करना

वर्ष 2023-24 के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान और 21.03.2024 तक इसके उपयोग/परिणाम को निम्नानुसार अवलोकन/समीक्षा के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था:-

A. राजस्व प्राप्ति: -

सुरेंद्र मलिक

(रुपये लाख में)

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित राजस्व	दिनांक 11.03.2024 तक वास्तविक राजस्व प्राप्ति	31.03.2024 तक अपेक्षित राजस्व प्राप्ति	कुल (4+5)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
A	अनुमानित राजस्व					
	पट्टा किराया	3500.00	3899.96	60.00	3959.96	डीजी सेट पट्टा किराया, विलंब भुगतान पर ब्याज, पट्टा किराया, रखरखाव शुल्क।
	उपयोगकर्ता शुल्क	800.00	379.53	5.00	384.53	आई-कार्ड जारी करना और प्रवेश परमिट शुल्क, फॉर्म-1, स्थानांतरण शुल्क, आवंटन शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जल शुल्क
	सावधि जमा पर ब्याज	900.00	1074.68	00.00	1074.68	
	अन्य	60.00	46.96	02.00	48.96	नीलामी स्कैप की बिक्री
	कुल(ए)	5260	5401.13	67	5468.13	
A-2	कोष उपलब्ध हैं:					
	(i) 11.03.24 तक एफडी सहित धनराशि उपलब्ध है	31896.50	32023.07	00.00	32023.07	
	(ii) बैंकों में उपलब्ध धनराशि (चालू/बचत खाते)	520.84	3084.86	00.00	3084.86	
	कुल (बी)	32417.34	35108.00	0.0	35108.00	
	कुल (ए+बी)	37677.34	40509.13	67.00	40576.14	

सुरेंद्र मलिक

B. वास्तविक/अनुमानित व्यय: -

(रुपये लाख में)

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित व्यय	11.03.2024 तक वास्तविक व्यय	31.03.2024 तक अपेक्षित व्यय	कुल (4+5)	टिप्पणी
B.	लघु कार्य:	15034.14	283.46	00.00	286.46	
	a. बुनियादी ढांचा विकास (पूँजीगत व्यय)	1700.00	1186.27	80.00	1266.27	
	b. रखरखाव					
	किराया दर और कर	250.00	194.66	03.00	197.66	
	एफटीई/डीटीई	10.00	05.10	00.00	05.10	
	व्यावसायिक शुल्क/प्रभार	100.00	59.31	04.00	63.31	
	विज्ञापन एवं प्रचार	10.00	01.28	0.30	1.58	
	कार्यालय का व्यय*	120.00	148.66	06.00	154.66	
	मजदूरी वेतन	0.00	00.00	00.00	00.00	
	विविध व्यय**	100.00	00.00	00.00	00.00	
	कुल:	17324.14	1878.74	93.3	1972.04	

*कार्यालय व्यय: - वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कार्यालय व्यय का अनुमानित व्यय रु.120.00 (लाखों में) है, लेकिन फर्नीचर की खरीद और प्रतिपूर्ति में अभीक्षक को विभिन्न भुगतान के कारण 11.03.2024 तक कुल व्यय रु.148.66 (लाखों में) है, कार्यालय व्यय प्रकृति का व्यय जो रु. 28.66 (लाख में) से अधिक है।

**विविध व्यय: - विविध व्यय का अनुमानित व्यय रु.100.00 (लाख में) है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई व्यय नहीं है। इसलिए, यदि मंजूरी मिलती है तो हम कार्यालय व्यय मद को विविध व्यय से रु. 35.00 (लाख में) में पुनः विनियोजित कर सकते हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण का खर्च भी इस मद में रखा जाएगा।

प्राधिकरण ने कहा कि किसी को अगले वित्तीय वर्ष में विज्ञापन और प्रचार के साथ-साथ प्रशिक्षण से संबंधित मदों पर उचित व्यय पर ध्यान देना चाहिए।

3. विषय: वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

2024-25 के लिए वार्षिक बजट को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष निम्नानुसार रखा गया है-

वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट

क्रमांक	विवरण	रुपये लाख में	टिप्पणी
1	2	3	4
	अनुमानित राजस्व:		
A-1	1. (i) पट्टा किराया (पट्टा किराया, रखरखाव शुल्क, विलंबित भुगतान पर ब्याज)	3850.00	
	2. (ii) उपयोगकर्ता शुल्क (आई-कार्ड, फॉर्म-1, स्थानांतरण शुल्क, आवंटन शुल्क, जल शुल्क और स्क्रेप की बिक्री)	880.00	

सुरेंद्र मलिक

	3. (iii) सावधि जमा पर ब्याज	1100.00	
	4. (iv) अन्य (लाइसेंस शुल्क, बोली राशि और विविध आय)	60.00	
	कुल(i से iv)	5890.00	
A-2	3. i) 11.03.2024 तक एफडी के रूप में धनराशि उपलब्ध है।	32023.07	
	4. ii) 11.03.2024 तक बैंकों में बचत और चालू खातों में धनराशि उपलब्ध है।	3084.93	
	कुल(i से ii)	35108.00	
	कुल योग {(ए-1)+(ए-2)}	37677.34	
B	अनुमानित व्यय		
	1. (i) छोटे-मोटे काम		
	a. बुनियादी ढांचे का विकास*	17008.24	
	2. b. मरम्मत एवं रखरखाव	1600.00	
	3. (ii) किराया दर और कर	250.00	
	4. (iii) एफटीई/डीटीई	10.00	
	5. (iv) व्यावसायिक शुल्क/प्रभार	100.00	
	6. (v) विज्ञापन एवं प्रचार	10.00	
	7. (vi) कार्यालय का व्यय	250.00	
	8. (vii) मजदूरी वेतन	00.00	
	(viii) प्रशिक्षण और विकास	10.00	
	(ix) विविध व्यय	100.00	
	कुल(i से ix)	19338.24	

* वित्त वर्ष के लिए बुनियादी ढांचे का विकास 2024-25

(रुपये लाख में)

क्रमांक	विवरण	राशि
1	वर्ष 2024-25 के दौरान किये जाने वाले नये कार्यों का अनुमानित व्यय (विवरण नीचे तालिका-ए में दिया गया है)	3157.49
2	अनुमानित व्यय जो पिछले वर्ष 2023-24 से आगे बढ़ाया गया है: (विवरण नीचे तालिका-बी+सी+डी+ई में दिया गया है)	13850.75
	कुल(1+2)	17008.24

तालिका ए. वर्ष 2024-25 के दौरान किये जाने वाले नये कार्यों का अनुमानित व्यय

(रुपये लाख में)

क्रमांक	कार्य का वर्णन	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुसार व्यय का अनुमोदन किया गया	11.03.2024 तक वास्तविक व्यय	31.03.2024 तक संभावित व्यय	बजट वर्ष 2024-25 के लिए शेष राशि का भुगतान किया जाना है या आगे बढ़ाया जाना है	टिप्पणी
1. 2.	सर्विस सेंटर पर सोलर पैनल की मरम्मत	29.88	0.00	0.00	29.88	
2. 3.	एनएसजेड में विभिन्न एसडीएफ	13.60	0.00	0.00	13.60	

सुरेंद्र मलिक

	ब्लॉक में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की मरम्मत					
3. 4.	ट्रेचलेस सीवर	13.16	0.00	0.00	13.16	
4. 5.	गार्डन पोल स्ट्रीट लाइट	29.42	0.00	0.00	29.42	
5. 6.	जोन में अर्थिंग कार्य	21.38	0.00	0.00	21.38	
6	14 सीवर मैनहोल की सफाई	15.07	0.00	0.00	15.07	
7	एसडीएफ-एफ ब्लॉक में क्षतिग्रस्त बख्तरबंद केबल का प्रतिस्थापन	04.11	0.00	0.00	04.11	
8	गेस्ट हाउस के संचालन के लिए नई सीवर लाइन का निर्माण	04.28	0.00	0.00	04.28	
9	गेस्ट हाउस के नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त कार्य	26.59	0.00	0.00	26.59	
10. 7.	विविध कार्य*	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
		3157.49	0.00	0.00	3157.49	

*3000 लाख रुपये की राशि के विविध कार्य जो आवश्यकता के अनुसार अगले वर्ष में किए जाएंगे।

B. प्रारंभ नहीं हुए कार्य का अनुमानित व्यय जिसे पिछले वर्ष 2023 से आगे बढ़ाया गया है-

(रुपये लाख में)

क्रमांक	कार्य का वर्णन	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुसार व्यय का अनुमोदन किया गया	11.03.20 24 तक वास्तविक व्यय	31.03. 2024 तक संभावित व्यय	बजट वर्ष 2024-25 के लिए शेष राशि का भुगतान किया जाना है या आगे बढ़ाया जाना है	टिप्पणी
1. 2.	सीडब्ल्यूसी, कॉम्प्लेक्स में एक नए गोदाम का निर्माण	325.68	0.00	0.00	325.68	अगले वर्ष (2024-25) के लिए अग्रेषित किया जा सकता है
2. 13.	7 नग विद्युत उपकेन्द्रों की मरम्मत एवं रंग-रोगन।	80.00	0.00	0.00	80.00	अगले वर्ष (2024-25) के लिए अग्रेषित किया जा सकता है
3. 14.	एसडीएफ-डी ब्लॉक के बूस्टर पंपों से एसडीएफ	300.00	0.00	0.00	300.00	अगले वर्ष (2024-25) के लिए अग्रेषित

सुरेंद्र मालिक

	ए, बी, सी, डी और ई ब्लॉक तक फायर वॉटर टैंकों की मरम्मत और पेंटिंग / पानी की लाइनों को बदलना।					किया जा सकता है
4	इंटर लॉकिंग टाइल्स लगाना/फुटपाथ ग्रीन बेल्ट का निर्माण, स्टाफ क्वार्टर में ओपन जिम पार्क और गेस्ट हाउस के पास विविध खेल सुविधाएं और सी-05 से सी-08 के सामने ग्रीन बेल्ट।	100.00	0.00	0.00	100.00	अगले वर्ष (2024-25) के लिए अग्रेषित किया जा सकता है
5	दस 20-सीटर कार गोल्फ कार की खरीद (केवल मेट्रो स्टेशन से नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक इंटर जोन उपयोग के लिए)।	200.00	0.00	0.00	200.00	अगले वर्ष (2024-25) के लिए अग्रेषित किया जा सकता है
	कुल(1+5)	1005.68	0.00	0.00	1005.68	

तालिका सी: (अनुमानित व्यय 26.02.2024 को ईआईएल को कार्य सौंपा गया: कार्य दो वर्षों में पूरा होने का अनुमान है। समान भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में और शेष वित्तीय वर्ष 2025-26 में करने का प्रस्ताव है जिसे आगे बढ़ाया गया है पिछला वर्ष 2023-24):-

(रुपये लाख में)

क्रमांक	कार्य का वर्णन	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुसार व्यय का अनुमोदन किया गया	11.03.2024 तक वास्तविक व्यय	31.03.2024 तक संभावित व्यय	बजट वर्ष 2024-25 के लिए शेष राशि का भुगतान किया जाना है या आगे बढ़ाया जाना है	टिप्पणी
1.	उन्नयन एवं निगरानी समिति संख्या 01, 02 एवं 03 की रिपोर्ट के अनुसार सभी एसडीएफ ब्लॉकों और अन्य क्षेत्रों का उत्थान।	1800.00	0.00	0.00	1800.00	ईआईएल को कार्य सौंपा गया

सुरेंद्र मलिक

2.	अतिरिक्त कार्यालय स्थान (अभिलेख कक्ष, बैठक कक्ष, अंकेक्षण, श्रम न्यायालय सहित), बहुउद्देशीय सम्मेलन कक्ष (प्रदर्शनी, खरीदार-विक्रेता बैठक, आउटरीच सहित) के उद्देश्य से सेवा केंद्र भवन, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के पीछे नए कार्यालय भवन का निर्माण, बैंकों जैसे उपयोगिता प्रदाताओं के लिए फूड कोर्ट और स्थान।	935.00	0.00	0.00	935.00
3.	जल निकासी व्यवस्था का पुनः विकास	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4.	सड़क का पुनः सतहीकरण	540.00	0.00	0.00	540.00
5.	प्लॉट नंबर 153 से प्लॉट नंबर 147, प्लॉट नंबर 128 से एसडीएफ 'जी' ब्लॉक और प्लॉट नंबर 78 से गेट नंबर 02, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाना।	117.00	0.00	0.00	117.00
6.	प्लॉट नंबर 142ए/24 से एसडीएफ 'एल' ब्लॉक (लगभग 2 किलोमीटर) तक निचली चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाएं और गेट नंबर 01 से डीएससी रोड (लगभग 400 मीटर) तक आरसीसी चाहरदीवारी का पुनर्निर्माण करें।	392.00	0.00	0.00	392.00
7.	सेंट्रल वर्ज का नवीनीकरण (2KM X 11000)	220.00	0.00	0.00	220.00
8.	नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के मौजूदा भवन (सेवा केंद्र) का नवीनीकरण	200.00	0.00	0.00	200.00
9.	सभी उपकरण आदि सहित 2 एक्स एमवीए सबस्टेशन 33/11 केवी का निर्माण।	1200.00	0.00	0.00	1200.00
10.	विविध कार्य	200.00	0.00	0.00	200.00
	कुल(1+10)	7604.00	0.00	0.00	7604.00

सुरेंद्र मलिक

तालिका डी: (पूर्ण कार्य के लिए अनुमानित व्यय, यूसी प्रतीक्षित और अप्रयुक्त राशि को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जा रहा है, जिसे पिछले वर्ष 2023-24 से आगे बढ़ाया गया है/बचत राशि को अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ाया जाएगा):-

(रुपये लाख में)

क्रमांक	कार्य का वर्णन	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुसार व्यय का अनुमोदन किया गया	11.03.2024 तक वास्तविक व्यय	31.03.2024 तक संभावित व्यय	बजट वर्ष 2024-25 के लिए शेष राशि का भुगतान किया जाना है या आगे बढ़ाया जाना है	टिप्पणी
1	स्टाफ क्वार्टर, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में जल सॉफ्टनर संयंत्र की स्थापना।	6.99	0.00	6.99	0.00	कार्य पूर्ण, यूसी प्रतीक्षित
2	स्टाफ क्वार्टर 'ए' और 'सी' ब्लॉक, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र का नवीनीकरण।	57.26	51.23	0.00	5.73	कार्य पूर्ण, यूसी प्रतीक्षित
3	स्टाफ क्वार्टर डी-02 और गेस्ट हाउस (डी-01) के एकल परिसर में नवीनीकरण	26.13	23.52	0.00	2.61	कार्य चल रहा है और 31.03.2024 को पूरा हो जायेगा
4	नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में नए शौचालयों का निर्माण और सभी शौचालयों का नवीनीकरण।	44.17	33.13	11.04	0.00	कार्य पूर्ण, यूसी प्रतीक्षित
5	एसडीएफ डी, ई, (एसडीएफ के और ट्रेडिंग ब्लॉक को छोड़कर), नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र का नवीनीकरण	135.68	101.76	0.00	33.92	कार्य पूर्ण, यूसी प्रतीक्षित
6	5 छोटे किसोक 05 X 03 वर्ग मीटर का निर्माण	43.68	21.87	0.00	21.81	कार्य चल रहा है और 31.03.2024 को पूरा हो जायेगा
	कुल(1+6)	313.91	231.81	18.03	64.07	

सुरेंद्र मलिक

तालिका ई: (एनबीसीसी भुगतान का अनुमानित व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी किया जा सकता है):-

(रुपये लाख में)

क्रमांक	कार्य का वर्णन	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुसार व्यय का अनुमोदन किया गया	11.03.2024 तक वास्तविक व्यय	31.03.2024 तक संभावित व्यय	बजट वर्ष 2024-25 के लिए शेष राशि का भुगतान किया जाना है या आगे बढ़ाया जाना है	टिप्पणी
1	नाॅएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न बुनियादी ढांचागत उन्नयन कार्य (नए गेट 1 और 2 और स्वागत द्वार, सड़क पुनर्सतहीकरण, पहुंच नियंत्रण, फुटपाथ, गोल चक्करों का सौंदर्यीकरण, साइनेज आदि)	6902.0	1725.5 (31.3.23 को भुगतान किया गया)	0.00	5176.5	नाॅएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा 26.12.2022 को अपनी बैठक में 6902 लाख रुपये के अनुमान को मंजूरी दी गई है। नाॅएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र 31.03.2023 को 1725.50 लाख रुपये का भुगतान
	कुल	6902.0	1725.5	0.00	5176.5	

तालिका एफ: (कार्य जो बजट 2023-2024 के लिए अनुमोदित किए गए थे और अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हटाए जाने का प्रस्ताव है):-

(रुपये लाख में)

क्रमांक	कार्य का वर्णन	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुसार व्यय का अनुमोदन किया गया	टिप्पणी
1	डीएससी रोड से प्लॉट नंबर 147 (मुख्य सड़क), प्लॉट नंबर 128 से एसडीएफ 'जी' ब्लॉक और प्लॉट नंबर 78 से गेट नंबर 02, नाॅएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक आरसीसी के साथ सेंट्रल वर्ज का पुनर्निर्माण।	330.80	एनबीसीसी को पहले ही काम सौंपा जा चुका है। अतः अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया।
2	डीएससी रोड से प्लॉट नंबर 147, प्लॉट नंबर 128 से जी ब्लॉक और प्लॉट नंबर 78 से गेट नंबर 02, नाॅएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक मुख्य बिटुमिन सड़क का पुनर्निर्माण।	936.00	एनबीसीसी और ईआईएल को सड़क और विविध कार्य सौंपने के बाद इस

सुरेंद्र मालिक

3	डीएससी रोड से प्लॉट नंबर 147, प्लॉट नंबर 128 से जी ब्लॉक और प्लॉट नंबर 78 से गेट नंबर 02, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक जीआई पोल सहित पोल सहित एलईडी लाइट के साथ सोडियम स्ट्रीट लाइट का प्रतिस्थापन।	249.69	कार्य की फिर से जांच करने की आवश्यकता है
4	स्टाफ कार्टर/सर्विस सेंटर, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के पास एक लाख लीटर क्षमता के यूजीआर और ओवरहेड टैंक का निर्माण।	53.66	प्राधिकरण ने आवश्यकता की फिर से जांच करने और फिर इसे अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखने का निर्णय लिया।
5	सीवरेज पंप स्टेशन से सीडब्ल्यूसी तक सीवर लाइन की मरम्मत (अस्थायी रूप से 1.5 किमी)	50.00	ईआईएल को दिए गए ड्रेनेज सिस्टम और सड़क के समान कार्यों की दोबारा जांच की जरूरत है।
6	नई मानक डिजाइन फैक्ट्री (एसडीएफ) भवन (एसडीएफ 'एन' ब्लॉक) का निर्माण। अनुमानित अनुमानित लागत ₹0 6000.00 लाख	3000.00	प्राधिकरण ने इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया।
7	नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र क्षेत्र कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी की स्थापना।	442.00	एनबीसीसी को सौंपे गए पार्क विकास के कार्य को एक इकाई के रूप में बदल दिया गया है, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र ने इन पार्कों को निःशुल्क अपनाया है, इसलिए पार्क विकास के कार्य को सीसीटीवी कार्य से बदलने का प्रस्ताव है।
8	पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एसडीएफ ई ब्लॉक की वॉटरलाइन को बदलना और पानी की टंकियों की संरचना की मरम्मत करना और सभी एसडीएफ में अलार्म सिस्टम की स्थापना करना।	100.00	प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक एसडीएफ में एक पानी की टंकी और फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। नतीजतन, उन्होंने ईआईएल से अनुरोध करने का निर्णय लिया है, जो पहले से ही सभी एसडीएफ के नवीनीकरण पर काम कर रहा है, ताकि इन सुविधाओं को शामिल किया जा सके
कुल(1+8)		5162.15	

सुरेंद्र मलिक

4. पट्टा किराया का भुगतान न करने तथा पट्टा किराया पर ब्याज माफ करने के संबंध में

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि एसडीएफ नंबर एल-05, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र पर स्थित मेसर्स वर्चुअल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही 56,67,067/- रुपये का बकाया लीज किराया चुका दिया है और उनके पास 5,49,062/- रुपये का भुगतान वर्तमान तिथि तक किया जाना शेष है। इकाई ने लंबित पट्टा किराया को चुकाने के लिए 8-9 महीने का समय बढ़ाने की मांग की है और खर्चों को कम करने के लिए पट्टा ऑफिस स्पेस का 40% समर्पण करने का भी प्रस्ताव दिया है। इकाई ने ब्याज माफी के लिए भी अनुरोध किया था। प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 31 मार्च, 2024 तक कुल बकाया 92,04,734/- रुपये था, जिसमें ब्याज की राशि 10,62,568/- रुपये थी। इकाई ने 70,87,642/- रुपये का भुगतान किया था, जिससे कुल पट्टा किराया 21,17,092/- रुपये लंबित था। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नियम 7.(6) का संदर्भ दिया गया था, जो प्राधिकरण को कुछ शर्तों के अधीन और केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ, अपूरणीय पट्टा किराया सहित अपूरणीय नुकसान को बट्टे खाते में डालने की शक्ति देता है। यह अनिवार्य है कि ऐसे बट्टे खाते में डालने के पूरे विवरण और कारणों का दस्तावेजीकरण किया जाए।

निर्णय:- प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि ब्याज हिस्से पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालाँकि, प्राधिकरण लागू लीज किराये के साथ, समान किस्तों में शेष लीज किराये का भुगतान करने के लिए 12 महीने का विस्तार देने पर सहमत हुआ।

5. औद्योगिक कैंटीन नंबर 02, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के लिए पहले से निर्धारित स्थान का वैकल्पिक उपयोग

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की पिछली बैठक के दौरान नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर औद्योगिक कैंटीन नंबर 02 के वैकल्पिक उपयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। अंकेक्षण में महत्वपूर्ण गिरावट का पता चला, जिसके कारण विध्वंस की सिफारिश की गई। आगे बताया गया कि कम मांग के कारण लगभग 12-13 एसडीएफ खाली पड़े हैं। इसके अलावा, एक और एसडीएफ बनाने के लिए जगह पर्याप्त नहीं लग रही थी।

निर्णय:- उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि आरक्षित मूल्य सहित दिशानिर्देशों के अनुरूप, उपरोक्त स्थान को अधिकृत संचालन के लिए नीलाम किया जा सकता है।

6. मूल आवंटी के साथ स्थान साझा करने की अनुमति का नवीनीकरण

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि इकाइयों को दी गई साझाकरण अनुमतियाँ 31.03.2024 को समाप्त हो रही हैं। साझाकरण अनुमति के नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में एमओसी को किए गए सभी पत्राचार भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

निर्णय:- प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद और व्यापक जनहित में, सहभाजन इकाइयों द्वारा पहले से किए गए निवेश, उनके निर्यात प्रदर्शन, रोजगार सहित आर्थिक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए, शेरिंग अनुमति की वैधता को एक और वर्ष यानी 31.03. 2025 तक या वाणिज्य विभाग से निर्देशों की प्राप्ति, तक बढ़ाने का निर्णय लिया। हालाँकि, यह उन इकाइयों के लिए लागू है जिन्हें पहले से ही ऐसी अनुमति प्राप्त है और यह मुख्य आवंटी के साथ-साथ साझाकरण इकाई के वैध एलओए के अधीन होगी।

7. नियुक्त सिविल इंजीनियर के कार्य निष्पादन की समीक्षा

बैठक के समक्ष नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त सिविल इंजीनियर का प्रदर्शन रखा गया। प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 14.06.2023 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया 25.07.2023 को शुरू हुई। चयन प्रक्रिया के बाद, श्री नीलेश शाह ने नियुक्त समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उच्चतम अंक प्राप्त किए। अनुबंध की शर्तों में मामूली संशोधन के साथ 27.09.2023 को बैठक के दौरान इस निर्णय की पुष्टि की गई। एक सलाहकार (सिविल इंजीनियर) के रूप में श्री शाह की भूमिका निविदा दस्तावेजों को जारी करने की सुविधा प्रदान करने और नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर चल रही सिविल

सुरेंद्र मलिक

परियोजनाओं पर अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही है, जो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया कि उनकी नियुक्ति के समय, अभियांत्रिकी विशेषज्ञता की कमी को देखते हुए परियोजनाओं की संख्या सीमित थी। हालाँकि, उनकी नियुक्ति के साथ, परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और वह चल रही परियोजनाओं और अन्य विविध कार्यों के गर्भाधान से लेकर निगरानी और निष्पादन तक के सभी पहलुओं में शामिल रहे हैं।

निर्णय:- प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद नियुक्त सिविल इंजीनियर का कार्यकाल 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, अतिरिक्त काम में वृद्धि को देखते हुए, प्राधिकरण ने उनका पारिश्रमिक 80,000/- रुपये से बढ़ाकर 100,000/- रुपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया।

8. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में उन्हें आवंटित भूखंडों पर इकाई द्वारा निर्मित भवन के निपटान के लिए आरक्षित मूल्य के निर्धारण के संबंध में नीति समीक्षा

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 26.10.2015 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा निर्मित भवनों के निपटान के लिए आरक्षित कीमतों के निर्धारण के संबंध में एक नीति बनाई है। वर्तमान पद्धति में विभिन्न कारक शामिल हैं जैसे सरकार द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भवन और उपकरण की लागत का मूल्यांकन, बकाया पट्टा किराया, सीमा शुल्क देनदारियां, नोएडा प्राधिकरण दरों के बराबर आवंटन शुल्क, नीलामी शुल्क और विज्ञापन/विविध खर्च। हालाँकि, यह देखा गया है कि इससे आरक्षित कीमतें अवास्तविक हो रही हैं, जिसके कारण कोई बोली नहीं लग रही है। यह भी नोट किया गया कि नोएडा प्राधिकरण दरों के दायरे में आने वाली डीटीए इकाइयों की स्थिति अलग है क्योंकि उन्हें लंबी लीज अवधि (नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में 99 वर्ष बनाम 15 वर्ष) मिलती है, जिसके कारण बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध होते हैं, वे बंधक अनुमति की अनुमति भूमि और इकाइयां विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों से बाधित नहीं हैं, जिसके लिए सकारात्मक एनएफई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यह महसूस किया गया कि यह क्षेत्र कई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को आकर्षित कर रहा है।

निर्णय:- प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद और उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवंटन शुल्क को 10% कम करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक नीलामी के लिए सीमा शुल्क बकाया को आरक्षित मूल्य में शामिल किया जाएगा। यदि संपत्ति की नीलामी पहले प्रयास में सफलतापूर्वक नहीं होती है, तो सीमा शुल्क विंग को सूचित करके सीमा शुल्क बकाया को आरक्षित मूल्य से बाहर रखा जा सकता है। इसके बाद जिला प्रशासन को पत्र लिखने जैसे अन्य माध्यमों से यह बकाया वसूल किया जा सकता है।

9. दुकान नंबर 03, सुविधा केंद्र में आग लगने की घटना और पट्टा किराया माफ करने के अनुरोध के संबंध में

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि सुविधा केंद्र में दुकान नंबर 03 के आवंटी श्री श्यामू पाठक ने 27/11/2023 की रात को आग लगने की घटना की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप उनका सारा सामान नष्ट हो गया। उन्हें घटना की सूचना 28/11/2023 को सुबह 07:12 बजे फोन कॉल के माध्यम से मिली। श्री पाठक ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है और उन्होंने अपने तीन महीने का किराया, जो कि 75,328/- रुपये है, माफ करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और पहली दुकान के मरम्मत कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए तीन महीने के लिए एक और दुकान आवंटित करने का अनुरोध किया। हालाँकि, यह नोट किया गया कि किसी अन्य दुकान के लिए मासिक किराया निर्धारित करना केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा, क्योंकि प्राधिकरण वर्तमान में दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया में है।

निर्णय:- प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दुकान नंबर 03 के आवंटी श्री श्यामू पाठक को पी.एच. देने और बाद में मामले पर निर्णय लेने का अधिकार देने का निर्णय लिया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने, विशेष रूप से सुविधा केंद्र की पहली मंजिल पर कौशल विकास केंद्र की परिचालन स्थिति पर विचार करते हुए, दुकान में आग लगने की घटना पर चिंता व्यक्त की और ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक

10. पट्टा किराया और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क में संशोधन

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य विभाग के निर्देशों, रखरखाव शुल्क में हालिया बढ़ोतरी और वर्तमान बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए पट्टा किराया और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया: -

क्रमांक	पट्टा किराया	दरें 01.04.2023 से लागू (प्रति वर्ष वर्ग मीटर में)	01.04.2024 से प्रस्तावित दरें (प्रति वर्ष वर्ग मीटर में)	वेतन वृद्धि
1.	एसडीएफ	₹2205/-	₹2337/-	6%
2.	प्लॉट	₹159/-	₹169/-	6%
3.	रखरखाव	₹37/-	₹37/-	0%
जल शुल्क		01.04.2024 से प्रति तिमाही		
4.	1000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट	₹1323/-	₹1455/-	10%
5.	5000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट	₹1869/-	₹2056/-	10%
6.	5000 वर्ग मीटर से ऊपर का प्लॉट	₹3738/-	₹4112/-	10%
7.	एसडीएफ	₹2491/-	₹2740/-	10%

उपरोक्त दरें 01.04.2024 से लागू होंगी।

11. नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में पहली मंजिल पर कमरा नंबर 101-104 के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त कार्य के लिए अनुमान प्रस्तुत करना।

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि मेसर्स वापकोस लिमिटेड ने दिनांक 06.03.2024 को एक पत्र के माध्यम से नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में पहली मंजिल पर कमरा नंबर-101 और 104 के लिए आवश्यक अतिरिक्त नवीनीकरण कार्य के लिए एक अनुमान प्रदान किया था। नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा दिए गए इन कमरों के लिए प्रारंभिक नवीनीकरण कार्य नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में मेसर्स वापकोस लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्देशों के बाद, इन कमरों के लिए मेसर्स वापकोस को आगे का कार्य सौंपा गया है। परिणामस्वरूप, उन्होंने इसमें शामिल लागत का एक विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किया है। अनुमान में कमरा नंबर 101 और 104 के लिए नवीनीकरण कार्य शामिल है, जिसकी राशि 8,34,699 रुपये है, जिसमें वापकोस सेवाओं के लिए 3.48% अतिरिक्त शुल्क और 3% आकस्मिक लागत शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 8,89,659 रुपये होंगे।

निर्णय:- प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिए मेसर्स वापकोस लिमिटेड को मंजूरी देने का निर्णय लिया।

12. व्यापार ब्लॉक में माल लिफ्ट की मरम्मत के लिए अनुमान प्रस्तुत करना।

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि मेसर्स वापकोस लिमिटेड ने दिनांक 11.03.2024 को एक पत्र के माध्यम से नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में व्यापार ब्लॉक में माल लिफ्ट की मरम्मत के लिए एक विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किया था। 26.02.2024 को किए गए साइट निरीक्षण के बाद, माल लिफ्ट की सुचारू कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कार्य के सभी आवश्यक दायरे का आकलन किया गया। मेसर्स वापकोस लिमिटेड ने मरम्मत के लिए अनुमानित लागत विस्तार से प्रदान की थी। अनुमान में व्यापार ब्लॉक में माल लिफ्ट की मरम्मत के लिए 8,84,625 रुपये, परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के लिए अतिरिक्त शुल्क 30,785 रुपये और आकस्मिक लागत 3%, कुल 9,42,872 रुपये शामिल हैं।

सुरेंद्र मलिक

निर्णय:- उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिए मेसर्स वैपकोस लिमिटेड को मंजूरी देने का निर्णय लिया।

13. नवनिर्मित स्थान के संबंध में सीडब्ल्यूसी की किरायेदारी अवधि को 5 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध।

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) को कार्यालय पत्र संख्या 06/2018/4496 दिनांक 02.06.2022 के अनुसार 02.06.2024 को समाप्त होने वाली 2 साल की लीज अवधि के लिए 718.22 वर्ग मीटर का एक नया गोदाम आवंटित किया गया था। इसके बाद, सीडब्ल्यूसी ने अपने पत्र दिनांक 05.02.2024 में अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया था। मेसर्स सुराणा एंड सुराणा के कानूनी वकील का सुझाव है कि सीडब्ल्यूसी के अनुमोदन पत्र को तीन महीने की नोटिस अवधि के साथ रद्द किया जा सकता है, और वे नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र से नए अनुमोदन पत्र के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नियम 2009 के अनुसार, प्राधिकरण के पास क्षेत्र के कुशल प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य संगठन के रूप में विकसित करने की शक्तियां हैं। इसके पास विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप संसाधन जुटाने की भी शक्तियां थीं।

मेसर्स ग्रिपवेल फास्टनर्स के श्री राम भारद्वाज ने भी बैठक में भाग लिया और उक्त स्थान को 5 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। मेसर्स सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि ने भी बैठक में भाग लिया और शुल्क निर्धारण और इकाइयों को स्थान के आवंटन के संबंध में अपनी नीति के बारे में बताया। उन्होंने किरायेदारी अवधि को आगे बढ़ाने का भी अनुरोध किया। प्राधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि सीडब्ल्यूसी कोई मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा था और ग्राहक के साथ लेनदेन में केवल मध्यस्थ था। इसके अलावा, उन्होंने इस कार्यालय को सूचित किए बिना इकाई को गोदाम के परिसर के बाहर जनरेटर के लिए एक स्थापना बनाने की अनुमति दी थी। यह नोट किया गया कि इस कार्यालय ने निविदा के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित कर ली है।

निर्णय:- प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद और नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए राजस्व सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 718.22 वर्ग मीटर के नवनिर्मित स्थान के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ किरायेदारी अवधि को 02.06.2024 से आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके बजाय, निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन, स्थान सीधे इकाई को आवंटित किया जाएगा:

1. किरायेदारी अवधि 3 वर्ष तक सीमित होगी।
2. आधार मूल्य मौजूदा रहने वाले द्वारा भुगतान किए जा रहे मौजूदा पट्टा किराए के बराबर होगा।
3. 6% की वार्षिक पट्टा किराया वृद्धि लागू की जाएगी।

14. ई ब्लॉक में सामान्य क्षेत्र का अतिक्रमण

प्राधिकरण को निरीक्षण के दौरान सूचित किया गया कि मेसर्स इंटररा इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एसडीएफ नंबर ई-25-28, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र का उपयोग कर रहा था। यह क्षेत्र 113.85 वर्ग मीटर था और इकाई ने एक कांच का दरवाजा और कुछ फर्नीचर लगाया था और क्षेत्र में एक सुरक्षाकर्मी तैनात था। इस क्षेत्र के लिए 61,75,737 रुपये के पट्टा किराया की मांग का नोटिस 31.05.2023 को जारी किया गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। मेसर्स इंटररा इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क दिया कि आवंटन तिथि के बजाय 09.01.2015 से बकाया राशि का निपटान करने का प्रस्ताव करते हुए पहले कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसके अलावा मेसर्स इंटररा इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने समाधान के लिए किरायेदारी समझौते के मध्यस्थता खंड को लागू करने का अनुरोध किया था, जबकि वाणिज्य मंत्रालय ने सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पुनः परीक्षण का अनुरोध किया था। इकाई से वित्त निदेशक श्री रवि मित्तल भी उपस्थित हुए और आवंटन की तारीख के बजाय 09.01.2015 से अतिक्रमित क्षेत्र के पट्टा किराए के भुगतान के उनके प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया।

सुरेंद्र मलिक

निर्णय:- उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उक्त क्षेत्र के अतिक्रमण के उपलब्ध साक्ष्य के साथ फाइल पर मामले की समीक्षा करने का अधिकार देने का निर्णय लिया। इस जांच के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मामले के तथ्यों के आधार पर इस मामले पर निर्णय ले सकता है।

15. संयुक्त विकास आयुक्त और उप विकास आयुक्त, नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण पर आधारित कारण बताओ नोटिस

प्राधिकरण को यह सूचित किया गया कि नॉएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद मेसर्स वैपकोस लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मेसर्स वैपकोस लिमिटेड ने निरीक्षण के दौरान की गई विभिन्न टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण प्रदान किया, जिसमें कचरा निपटान, हरित अपशिष्ट निपटान, नालियों की सफाई, सुरक्षा सड़कों के रखरखाव और बहुत कुछ जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया। सुधार के आश्वासन के बावजूद, हरित पट्टियों के रखरखाव और कुछ क्षेत्रों की सफाई सहित कई क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन जारी रहा। इसके अतिरिक्त, जीएसटी और देरी से बिल जमा करने के मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। सेवा प्रदाता का कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया। वैपकोस लिमिटेड के साथ अनुबंध की अवधि 30.06.2024 तक वैध थी। बैठक में वैपकोस लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

निर्णय:- प्राधिकरण ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और वैपकोस लिमिटेड द्वारा बिल दाखिल करने और कर्मचारी भुगतान में महत्वपूर्ण देरी देखी। इसमें उन उदाहरणों का उल्लेख किया गया जब श्रमिकों ने सीधे इस कार्यालय में शिकायत की थी। इसके अलावा, वैपकोस लिमिटेड से जीएसटी भुगतान भी अतिदेय था, और फर्म का प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा। परिणामस्वरूप, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने मेसर्स वैपकोस लिमिटेड के साथ अनुबंध को 30.06.2024 से आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा प्राधिकरण ने संपदा प्रबंधन (ईएम) अनुभाग को जेम वेबसाइट और ईआर पी-आईटीआई सुविधा का उपयोग करके सीधे इस कार्यालय से विभिन्न सेवाओं से संबंधित कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, जो सीपीपीपी वेबसाइट तक पहुंच प्रदान करता है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त